रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

बाबूलाल वगैरा बनाम छेडीराम वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा-पत्र अंतर्गत धारा 251A RTA नं० 123 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्ताक्षर किये। हमने उक्त दोनो प्रा-पत्र पर प्रार्थीगण वकील को सुना। पत्रावली व संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट किया। बहस पर मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नं. 1034/ 637 में से कोई रास्ता प्रस्तावित नहीं है अतः न्यायालय राजा की आदेशिका दिनांक 27.11.15 अतः खातेदार अमर सिंह के द्वारा प्रकरण में बने पक्षकार। खातेदार अमर सिंह सुखराम, कैलाशी, गुलाब को प्रार्थनापत्र से नाम हटाया किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करते एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रा-पत्र आदेश 06 नियम 17 व धारा 151 जा.दी. विड्राउले की अनुमति दी जाती है एवं आदेशिका दिनांक 27.11.2015 के तहत प्रकरण में बने पक्षकार। खातेदार अमरसिंह, सुखराम, कैलाशी, गुलाब का नाम हटाए किये जाने के आदेश दिये जाते हैं बास्ते बहस। आदेश मूल प्रा-पत्र पत्रावली दिनांक 02.02.2016 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
02.02.16	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। मूल प्रा-पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करते एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रा-पत्र अंतर्गत धारा 251A RTA व ... तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के संलग्न भू.अ.नि. गिरदावर व पटवारी हल्का ... दिनांक 29.11.2015 [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैलन सुमार होकर बाद तमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 02/2/26 उप खण्ड अधिकारी [illegible] (दौसा)	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
E-Mail: [illegible]
PH:01420-225487

प्रकरण संख्या 123 / 2025
प्रकरण दायर दिनांक 09.09.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक 02.02.2026

उनवान

01. बाबू लाल पुत्र रामनिवास
02. शिव लाल पुत्र रामनिवास
03. संतोष कुमार पुत्र रामनिवास
समस्त जाति गुर्जर निवासी सुधारनपाडा तह. बांदीकुई जिला दौसा
:- प्रार्थीगण

बनाम

01. टंडीराम पुत्र कजोड
02. धर्मसिंह पुत्र कजोड
03. ललिता देवी पुत्री कजोड
04. रामय सिंह पुत्र कजोड
05. सुरजन देवी पत्नी कजोड
समस्त जाति गुर्जर निवासी सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा
06. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अभिधारी तहसीलदार महोदय, तहसील बांदीकुई जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा० लै०रे० एक्ट

प्रकरण निर्णय दिनांक 02.02.2026

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. लै. रे. एक्ट जर्ये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर के इस आशय से पेश किया कि भूमि काश्त खाता सं. नया 212 पुराना 216 के आराजी खसरा नं. 638 रकबा 0.16 हैक्टे., खसरा नं. 854 रकबा 0.09 हैक्टे., खसरा नं. 856 रकबा 0.26 हैक्टे कुल किता 03 कुल रकबा 0.51 हैक्टे, वाके ग्राम सुधारनपाडा, पटवार हल्का नांगल झामरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण काबिज काश्त खातेदार है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसे पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि में काश्त कर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है तथा अपने खेतो में आने-जाने के लिये मौके पर रास्ता जो नजरी नक्शे मे ए. बी. सी. डी बैरंग सुर्ख से दर्शित है, जो बांदीकुई से मंडावर रोड से होते हुये दिशा दक्षिण की ओर अप्रार्थीगण की गैर मुकिन सडक की भूमि खसरा नं. 636 में होकर प्रार्थीगण के खेत की भूमि खसरा नं. 638 तक रास्ता मौके पर 12 फिट चौडा रास्ता रहा है। जो रास्ता काफी सकडा रहा है। जिस पर प्रार्थीगण अपनी भूमि पर मौके पर आते-जाते रहे है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेतों में आने-जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नं. 638 में आने-जाने के लिए खसरा नं. 636 में बरंग सुर्ख ए. बी. सी. डी के अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध

नहीं है। प्रार्थीगण खसरा नं. 636 बैरंग सुर्ख रास्ते में होकर ही अपनी काश्त के लिए ट्रैक्टर ट्रोली एवं अन्य कृषि उपयोग में काम आने वाले साधनों को लाते-ले जाते है। प्रार्थीगण के पास अपने काश्त की आराजीयात खसरा नं. 638 में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। खसरा नं. 636 गैर मुकिन सड़क की भूमि हैं किन्तु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होने से तथा राज्य सरकार के राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड सरकारी रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को खेती काश्त के समय भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण को काश्त के समय परेशानी उठानी पडती है और फसलों व चारे वगै. को लाने ले जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पडता है। उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी भूमि में आने-जाने से महरूम हो जावेगें। इस कारण आराजी खसरा प्रार्थीगण को खसरा नंबर 638 में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 636 में बरंग सुर्ख ए.बी.सी.डी. के 12 फिट से चौडा कर 20 फिट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा सहमति से अप्रार्थीगण के खेत बैरंग सुर्ख ए. बी. सी, डी में होकर रास्ता चालू है, तथा किस्म भी गैर मुकिन सडक हैं किन्तु राजस्व अभिलेख में सरकारी रास्ते का इन्द्राज नहीं होने की आड में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के आवागमन में बैरंग सुर्ख ए. बी. सी, डी रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करते है तथा उक्त रास्ते में पुख्ता व खाम निर्माण कर रास्ते को बन्द करने पर आमादा है। इस हेतु प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना-पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण ने बेरंग सुर्ख ए बी सी डी रास्ते की भूमि को दिनांक 15.07.2025 को अपने खेतों में मिलाकर रास्ते में तारबंदी कर रास्ते को अवरूध कर दिया जिसके बाबत प्रार्थीगण ने तहसीलदार बांदीकुई को शिकायत दी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने पर दिनांक 08.08.2025 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु तहसीलदार बांदीकुई द्वारा अदालत हाजा के प्रार्थना पत्र पर काई कार्यवाही नहीं कि तथा अप्रार्थीगण एलानिया कह रहे हैं कि वह भूमि खसरा नं. 636 उनकी निजी खातेदारी की आड में रास्ते को हमेशा के लिए पुख्ता निर्माण कर बंद कर के रहेगे यदि अप्रार्थीगण अपने उददेश्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं तथा प्रार्थीगण बरबाद हो जावेगे इसलिए अप्रार्थीगण को बेरंग सुर्ख ए बी सी डी रास्ते की भूमि पर निर्माण करने हेतु प्रतिबंधित किया जाना भी आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारों को रास्ता विहिन जोतों तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमियों में से रास्ता दिये जाने के लिए राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र कमांक प. 3 (52) राज. 6/12/4 दिनांक 14.06.2013 को दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।प्रार्थीगण आराजी खसरा नंबर 636 में से 12 फिट से 20 फीट चौडाई में रास्ते के रूप में दी जाने वाली भूमि के एवज में श्रीमान के आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को भी तैयार है। भूमि मुतदाविया एवं सकूनत फरीकेन अंदर हदूद न्यायालय हाजा स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः एवं प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 05 के खेत खसरा नं. 636 में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 638, में आने-जाने के के लिए लिए 20 फिट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शा बैरंगसुर्ख ए.बी ए.बी.सी.डी. से दर्शित है में 12 फिट रास्ते को चौडा कर 20 फिट रास्ता देने के लिए आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी-

प्रार्थी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से एडवोकेट श्री नवीन कुमार गुर्जर उपस्थित आये एवं जबाब पेश किया जो निम्न प्रकार है:-
यह है कि प्रार्थना-पत्र का पैरा सं. 01 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थना-पत्र का पैरा सं. 02 जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत है, अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 636 में होकर प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। ना ही आज मौके पर मौजूद है। प्रार्थीगण ने कतई गलत आधारों पर प्रार्थना-पत्र पेश किया है। मिन अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र 131 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट दुरूस्ती किये जाने नक्शा ट्रेस पेश किया है जिसमें मिन अप्रार्थीगण ने निम्न रिलिफ चाही है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 636 एवं 1073/637 के हाल नक्शा ट्रेस को साबिका नंबर 255/1 के साबिका नक्शे के मुताबिक दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावे तथा खसरा नं. 636 के उत्तर-दक्षिण लम्बाई 3 सेमी तथा पूर्व-पश्चिम लगभग 2 सेमी ज्यादा बढ़ायी गयी है उसको हटाया जाकर साबिका नक्शा के मुताबिक दुरुस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें"। प्रार्थना-पत्र 131 की नकल संलग्न है। यह है कि प्रार्थीगण की आराजीयात में आने-जाने के लिये निम्न वैकल्पिक रास्ते मौके पर मौजूद है। यह है कि मंडावर रोड से सुधारनपाडा गांव को जाने वाला रास्ता आराजी खसरा नं. 479, 478 में होकर जा रहा है। जो मौके पर डामर रोड बना हुआ है। उक्त डामर रोड से खसरा नं. 638 की दूरी महज 87 मीटर है जिसे जवाब प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न नजरी-नक्शे में मार्का ए. बी. सी. डी से दर्शा रखा है। इसी रास्ते में होकर प्रार्थीगण अपने खेतों खसरा नं. 638, 639 में आते-जाते है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से छोटा है। यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 706 है। जिसकी मंडावर रोड से दूरी लगभग 65 मीटर के करीब ही है जिसे नजरी-नक्शा में मार्का ई. एफ. जी. एफ से दर्शा रखा है। खसरा नं. 706 के लगते हुये खसरा नं. 708 है जो प्रार्थीगण के सगे चाचा पन्नालाल के पुत्र सुरजमल के नाम है। प्रार्थीगण के पिता रामनिवास, पन्नालाल, राधाकिशन, हरगोविन्द खास भाई है। इन लोगों के पूर्व में समस्त आराजीयात शामलाती में थी जिनको इन्होने आपस में बंटवारा कर लिया परन्तु ये लोग अभी भी खसरा नं. 704 में होकर आ रहे रास्ता मार्का ई. एफ. जी. एच में होकर ही आ रहे है। प्रार्थीगण तथा खसरा नं. 708 के खातेदार सूरजमल ने मिन अप्रार्थीगण के द्वारा पेश नक्शा दुरूस्ती के प्रार्थना-पत्र में पक्षकार बनने का प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिस पर न्यायालय ने पक्षकार भी बनाने के आदेश किये है। उक्त ऑर्डर 01 नियम 10 के प्रार्थना-पत्र में प्रार्थीगण एवं सूरजमल पुत्र पन्नालाल, हरिसिंह पुत्र राधाकिशन, सुखबाई पत्नि हरिसिंह ने मिलकर मिन अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 636 में होकर रास्ता दर्शाया है जो खसरा नं. 708, 709 तक बताया है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और उनके भाई बंध आज भी एकसाथ है। ऐसे में खसरा नं. 708, 709, 638, 639, 706 के लिये खसरा नं. 704 में होकर जो रास्ता मंडावर रोड पर जा रहा है। मौके पर भी मौजूद है और छोटा रास्ता मौजूद है। कानूनन भी जब प्रार्थीगण के लिये इनके भाईयों की भूमियों में होकर छोटा रास्ता मौजूद है तो वह अन्य खातेदारों को सिर्फ परेशान करने की मानसिकता से प्रार्थना-पत्र पेशकर रास्ता नहीं मांग सकता। उपरोक्त प्रार्थना पत्र कानूनन का दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। जब प्रार्थीगण ने अपने सगे भाईयों से अपनी भूमियों के विभाजन के समय रास्ता नही मांगा है तो वह अब अन्य खातेदारों से रास्ता नहीं मांग सकता है। यह है कि खसरा नं. 640

२५६-

जो कि खसरा नं. 639 के लगते हुये है। खसरा नं. 640 पूर्व में प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों को शामलाती थी ऐसे में खसरा नं. 641 के दक्षिणी सिरे से खसरा नं. 645 की दूरी महज लगभग 55 मीटर के लगभग है जिसमें होकर भी प्रार्थीगण आते-जाते रहे है। उक्त रास्ता को मार्का आई. जे. के. एल से दर्शित किया गया है। उक्त खसरा नं. 640 के खातेदार हरि पुत्र राधाकिशन ने भी मिन अप्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र 131 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में पक्षकार बनने का प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण के साथ मिलकर पेश किया हुआ है। आराजी खसरा नं. 645, 646, 644 में होकर मौके पर ग्रेवल रोड बना हुआ है। जो मंडावर रोड से मालियों के बास सुधारनपाडा को जा रहा है। प्रार्थना-पत्र का पैरा सं. 03 गलत है अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कहना कतई गलत है कि खसरा नं. 638 में आने-जाने के लिये खसरा नं. 636 बरंग सुर्ख ए. बी. सी. डी के अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नही है। 'मिन अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के पैरा सं. 02 में वैकल्पिक रास्तो को दर्ज किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में चाहे गये रास्ते के अलावा उनके पास वैकल्पिक एवं कम दूरी के रास्ते मौजूद है। कानूनन जब प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता और कम दूरी का रास्ते मौजूद है तो उन्हे अपनी सुविधा के लिये रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थना-पत्र का पैरा सं. 04 गलत है अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा दर्शाये गये रास्ते मार्का ए. बी. सी. डी में होकर कभी भी रास्ता मौजूद नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में मौजूद है। मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नं. 636 का नक्शा ट्रेस गलत बना हुआ है। जिसकी दुरूस्ती का दावा मिन अप्रार्थीगण द्वारा पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। प्रार्थना-पत्र का पैरा सं. 05 गलत है अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि मिन अप्रार्थीगण ने दिनांक 15.07.2025 को मार्का ए.बी.सी.डी की भूमि को अपने खेतो में मिलाकर रास्ते में तारबंदी कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया बल्कि मार्का ए.बी.सी.डी के स्थान पर कभी रास्ता था ही नहीं। मिन अप्रार्थीगण द्वारा 05 वर्ष पूर्व से ही अपनी समस्त भूमि के तारबन्दी की हुई है। प्रार्थना-पत्र का पैरा सं. 06 में राजस्थान सरकार के परिपत्र का विवरण है जो उपरोक्त प्रकरण से ना तो संबंधित है ना ही उपरोक्त प्रकरण में लागू होता है। प्रार्थना-पत्र का पैरा सं. 07 गलत है अस्वीकार है। प्रार्थना-पत्र का पैरा सं. 08 कानूनी है। प्रार्थना-पत्र का पैरा सं. 10 कानूनी है। अतएव जवाब प्रार्थना-पत्र पेशकर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील उभयपक्ष द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर बहस की गयी। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 10810 दिनांक 15.12.2025 के द्वारा अवगत करवाया है कि ग्राम सुधारनपाडा की जमाबंदी संवत 2075 78 के आराजी खसरा नंबर 638 रकबा 0.16 हेक्टेयर खसरा नंबर 854 रकबा 0.09 हेक्टेयर खसरा नंबर 856 रकबा 0.26 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.51 हेक्टेयर की खातेदारी बाबूलाल पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/6 शिवलाल पुत्र रामनिवास हिस्सा 2/3 राहिन शाखा बिवाई संतोष कुमार पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/6 राहिन शाखा बिवाई समस्त जाति गुर्जर सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।ग्राम सुधारनपाडा के खसरा नंबर 636 रकबा 0.18 हेक्टेयर किस्म गै.मु. सड़क व खसरा नंबर 1073/637 रकबा 0.19 है. की खातेदारी ठंडीराम पुत्र कजोड हिस्सा 1/5 धर्मसिंह पुत्र कजौड. हिस्सा 1/5 ललितादेवी पुत्री कजौड हिस्सा 1/5 समयसिंह पुत्र कजौड हिस्सा 1/5 सुरजनदेवी पत्नी कजौड हिस्सा 1/5 सभी जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम सुधारनपाडा के खसरा नंबर 1074/637 रकबा 0.36 है. की खातेदारी अमरसिंह पुत्र बंशी हि.1/4 कैलाशी पुत्री बंशी हि.1/4 गुलाबदेवी पत्नी स्व.बंशी हि.1/4 सुखराम पुत्र बंशी हि.1/4 समस्त

(हस्ताक्षर)

जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम सुधारनपाडा की राजस्व नक्शा शीट अनुसार खसरा नंबर 636 रकबा 0.18 हेक्टेयर किस्म गै.मु. सड़क के कुछ हिस्से पर पूरब से पश्चिम में बांदीकुई मंडावर डामर रोड बना हुआ है जो मौके पर चालू है। खसरा नंबर 636 का कुछ रकबा जो खसरा नंबर 1073/637, 1074/637 से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लगता हुआ है जो मौके पर बंद है तथा खातेदारों द्वारा तारबंदी कर फसल बो रखी है व उक्त खसरा नंबर 636 का कुछ आंशिक रकबा जो वादीगण के खसरा नंबर 638 से लगता हुआ है वह मौके पर लगभग 50 फीट लंबाई 15 फीट चौड़ाई में रास्तानुमा है और यह भूमि मौके पर खाली है। मुताबिक नक्शा शीट अनुसार खसरा नंबर 636 जो वादीगण के खसरा नंबर 638 तक जाता है लेकिन मौके पर कुछ भू-भाग पर बंद है। खसरा नंबर 636 में से निकल रही बांदीकुई मंडावर रोड की सीमा से वादीगण के खसरा नंबर 638 के मध्य की दूरी लगभग 91 मीटर है व मुख्य गांव सुधारनपाडा की ओर जाने वाले चालू रास्ते से वादीगण के खसरा नंबर 638 की दूरी लगभग 87 मीटर रिकॉर्ड अनुसार है। वादीगण के खसरा नंबर 638 व प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 1073/637 636 व अन्य खातेदारान के खसरा नम्बर 1074/ 637, व मुख्य गांव सुधारनपाडा की ओर जाने वाले चालू रास्ते का नजरी नक्शा पटवारी हलका व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट में दर्शाया गया है जो पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी भूमि खसरा नंबर 638 मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 636 में से रास्ता चाहा गया है तहसीलदार बांदीकुई द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.12.2025 द्वारा खसरा नंबर 636 में मौके पर लगभग 50 फिट लम्बाई, 15 फीट चौडाई में रास्तेनुमा भूमि मौके पर खाली होना अवगत करवाया है जिसकी नक्शा बनाकर तरमीम नीली स्याही से मौका रिपोर्ट में संलग्न है इसके अलावा अन्य कोई उपयुक्त या कम लम्बाई का रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 636 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडक पूर्व से है।ग्राम सुधारनपाडा की राजस्व नक्शा शीट अनुसार खसरा नंबर 636 रकबा 0.18 हेक्टेयर किस्म गै.मु. सडक के कुछ हिस्से पर पूरब से पश्चिम में बांदीकुई-मंडावर डामर रोड बना हुआ है जो मौके पर चालू है। खसरा नंबर 636 का कुछ रकबा जो खसरा नंबर 1073/637, 1074/637 से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लगता हुआ है जो मौके पर बंद है तथा खातेदारों द्वारा तारबंदी कर फसल बो रखी है व उक्त खसरा नंबर 636 का कुछ आंशिक रकबा जो वादीगण के खसरा नंबर 638 से लगता हुआ है वह मौके पर लगभग 50 फीट लंबाई 15 फीट चौड़ाई में रास्तानुमा है और यह भूमि मौके पर खाली है। राज्य सरकार द्वारा RT ACT की संशोधित धारा 251 ए खातेदार एवं काश्तकार को रास्ते की सुविधा की भावना से संशोधित किया गया है जिसके अनुसार कम दूरी पर सुविधानुसार काश्तकार अपने खेतो पर सुगम तरीके से पहुंच सके। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 15.12.2025 द्वारा प्रार्थीगण को अपनी आराजी भूमि तक आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 636 में से 15 फीट चौडा एवं 50फीट लम्बा भूमि का रास्ता न्यूनतम दूरी का होने से व आंशिक रूप से चालू होना प्रस्तावित होने के मध्यनजर तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट में प्रस्तावित अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 636 में से 15 फीट चौडा एवं 50फीट लम्बाई की भूमि रास्ते हेतु अवाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए बरूये तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 15.12.2025 के संलग्न भू. अ. नि. बिवाई व पटवारी हल्का नांगल झामरवाडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.2025 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। २५६-

अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आदेश है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 638 ग्राम सुधारनपाडा में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 636 में 15 फीट चौडा एवं 50 फीट लम्बाई की भूमि रास्ते हेतु अवाप्त की जाती है। रास्ते में अवाप्त भूमि को खातेदारी से कम कर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। प्रार्थीगण रास्ते में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रचलित डी. एल.सी.दर से दोगुनी राशि तहसीलदार बांदीकुई को विधिवत जमा करावें। तहसीलदार बांदीकुई वांछित राशि जमा कर संबंधित खातेदार को नियमानुसार भुगतान करें तथा तहसीलदार बांदीकुई उक्त अवाप्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि को विधिवत राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
बांदीकुई